(140)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितंबर 11, 1997/ भाद्र 20, 1919
No. 355] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1997/BHADRA 20, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1997

सा.का.नि. 532 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 16) को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. धारा 2 में, ''पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2. धारा 3 में, ''प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 16)

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, ''अधीनस्थ न्यायाधीश'' और ''अधीनस्थ न्यायाधीशों'' शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: ''सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)'' और '' सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)'' तथा ''सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन)'' और ''सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन)'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. पंजाब अधिनियम 1918 का 16 की धारा 18 का प्रतिस्थापन:—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

18. "न्यायालयों के वर्ग—चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालयों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त, वहां सिविल न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय;

(2) अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय;

(3) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय; और

(4) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय ।"

[फा. सं. यू-11015/3/95-यू.टी.एल. (186)]

पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1997

G.S.R 532 (E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Courts (Amendment) Act, 1995 (Punjab Act No. 16 of 1995) as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section, 2, for the words and figures "the Punjab Courts Act, 1918", the words and figures "the Punjab Courts Act, 1918 as in force in the Union Territory of Chandigarh"shall be substituted.

2. In section 3, for the words and figures "the Provincial Small Cause Courts Act, 1887", the words and figures "the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

ANNEXURE

THE PUNJAB COURTS (AMENDMENT) ACT, 1995 (PUNJAB ACT NO. 16 OF 1995) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Courts Act, 1918.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty Sixth Year of the Republic of India.

1. **Short title and commencement:**— (1) This Act may be called the Punjab Courts (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Punjab Courts Act, 1918 as in force in the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Subordinate Judge" and "Subordinate Judges" whereever occurring, the words "Civil Judge (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" and "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)" shall respectively, be substituted.

3 **Substitution of section 18 of Punjab Act 6 of 1918:**—In the principal Act, for section 18, the following section shall be substituted, namely:—

"18 Classes of Courts.—Besides the Courts of Small Causes established under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 as in force in the Union Territory of Chandigarh, and the Courts established under any other enactment for the time being in force, there shall be the following classes of Civil Courts, namely :—

(1) The Court of District Judge;

(2) The Court of Additional District Judge;

(3) the Court of Civil Judge (Senior Division); and

(4) The Court of Civil Judge (Junior Division).".

[F. No. U-11015/3/95-UTL (186)]

P.K. JALALI, JT. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997